

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र
पत्रांक : 1962/18 / मानचित्र अनु0जोन-सी / 2010 दिनांक : 13.8.18

मै0 के0आर0सी0 इन्फाटैक प्रा0लि0 द्वारा श्री रमेश चन्द के अपने पत्र दिनांक 25-04-2018 के माध्यम से पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या 32/10 में "एपेक्स सिटी" कालोनी, ग्राम रामपुर पावटी, मेरठ के खसरा संख्या 252 पार्ट के कुल क्षेत्रफल 45529.00 वर्ग मीटर भूमि पर स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या 32/10 का पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये प्रस्ताव का परीक्षण व स्थल निरीक्षण उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें प्रभारी मानचित्र, जोनल अधिकारी, मुख्य नगर नियोजक, मुख्य अभियन्ता सदस्य हैं, के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया जो सही पाया गया तथा उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

संलग्नक - पूर्णता तलपट मानचित्र की प्रति।

Recd
13/8/18

13/08/18
मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ